सीएम गहलोत ने व्हिसल बजाकर कबड्डी मैच की शुरूआत की

■ बीगोद कस्बे में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन समारोह

भीलवाड़ा/मांगलगढ़, (निसं)। बीगोद कस्बे के खेल मैदान पर ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के समापन पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ हेलीकॉप्टर में मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेन्द्र सिंह डोटासरा भी रहे। वही मंच पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज निगम मंत्री धीरज गुर्जर के साथ जिलेभर के नेता मौजूद रहे।

समापन समारोह को संबोधित करते सीएम गहलोत ने कहा कि इतने बड़े आयोजन के लिए इन खेलों में सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की है। सबने शानदार काम किया है। इन खेलों में किसी तरह की राजनीति नहीं हुई है। सभी जाति बिरादरी के लोग शामिल हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। मांडलगढ़ प्रधान सतीश जोशी की मांग पर मुख्यमंत्री गहलोत ने हाथों हाथ शिवचरण माथुर महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्वीकृति प्रदान की।

राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अकाल के समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी तरह की कमी नहीं आने दी और मांडलगढ़ शहर के हर घर में गेहूं की बोरियां भर दी ताकि कोई भूखा न सोये। जाट ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि ग्रामीण खेलों को लेकर जो माहौल बना है उससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं में निखार आएगा। बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण खेलों से उभरकर कई खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।

उन्होंने सरकार के विकास कार्यों की भी चर्चा की। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना में भीलवाड़ा मॉडल ने अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना को अच्छी तरह से हेंडल किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश के राजा की नीति अच्छी होती है तो जमाना भी अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में लोग गरीबी व महंगाई से लड़ रहे है। जबकि गहलोत सरकार में गरीबों का उत्थान हो रहा है। कार्यक्रम के समापन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों के बीच उतरकर कबड्डी मैच का भी आनंद लिया खुद व्हिसल बजा कर उन्होंने मैच की शुरुआत की। इसके बाद वह बूंदी जिले के नैनवा के लिए रवाना हो गए। समारोह में प्रधान सतीशचन्द जोशी, सरपंच मेहरून बानू, नपा अध्यक्ष जफर टांक, उप सरपंच अब्दुल वहाब, पूर्व उप प्रधान मुबारिक लोहार, हारून लोहार, मुस्तफ़ा लोहार, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

बीमार गौवंश हेतु दवाईया भेंट की

ब्यावर (निसं)। कार्यक्रम संयोजक गौतम मेवाडा और प्रीति शर्मा ने बताया कि लंपी से गोवंश को बचाने के लिए गौ माता के इलाज के लिए अजमेर रोड स्थित वंदे गो मातरम चैरिटेबल ट्रस्ट के मेडिकल स्टोर पर जरूरत की दवाइयां मुहैया कराई गई और आने वाले समय में भी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर इंदु शर्मा, मनीष बुरड, ललिता जालान, चेतन चौहान आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय श्रम दिवस पर शोभायात्रा आज

अजमेर, (कासं)। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर द्वारा शनिवार को विश्वकर्मा जयंती 'राष्ट्रीय श्रम दिवस' को अजमेर शहर में विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा दोपहर 12:30 बजे जिला परिषद कार्यालय अजमेर से प्रारम्भ होकर जिला कलेक्ट्रेट – आजाद पार्क, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के सामने से होकर बजरंगढ़ पर समापन की जाएगी। शोभायात्रा में रोडवेज, विधुत, जलदाय, बिल्डिंग, सीमेंट, कपड़ा उद्योग, नगर निगम, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी व आशा सहयोगिनी बहने, ब्यावर, मसुदा, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी व सरवाड़ तहसील की सभी यूनियनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहभागिता करेंगे। आंगनबाड़ी की बहनों कार्यकर्ता सहायिका, ग्राम साथिन एवं आशा सहयोगिनी ''जिसमें प्रमुख मांग के रूप में तुरंत 'सरकारी कर्मचारी' घोषित करने, ज़ब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 18000 मानदेय प्रतिमाह दिलाने, पेंशन एवं ग्रेजुएटी एक्ट लागू करवाने के लिए आगामी 20 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित होने वाली विशाल आंगनवाड़ी की रैली से पूर्व इस विशाल 'शोभा यात्रा'के माध्यम से सरकार को आपकी एकजुटता व ताकत का अहसास कराने के लिए प्रत्येक जिले में ये यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

महाराज अग्रसेन के जयकारों से गूंजा अग्रवाल पाठशाला भवन

■ ध्वजारोहण के साथ तेरह दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ

अजमेर, (कासं)। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का आगाज शुक्रवार सुबह अग्रवाल पाठशाला सभा भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ हुआ। इसमें समाज के सैकडों लोग सम्मिलित रहे। महोत्सव में तेरह दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस क्रम में 16 से 19 सितम्बर तक जीएलओ ग्राउंड में अग्रसेन प्रीमियम लीग का आयोजन भी किया जा रहा है।

अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी व शिव शंकर फतेहपुरिया ने बताया कि ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी संजीव अग्रवाल व मुक्ता अग्रवाल तथा अग्रवाल पाठशाल सभा के अध्यक्ष शंकर लाल बंसल ने समाज की धर्म पताका फहरा कर महोत्सव का आगाज किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि, पाठशाला पदाधिकारियों व श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के मुख्य संयोजकगण ने स्कूल परिसर में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा की पूजा अर्चना की।

मुख्य संयोजक अशोक पंसारी ने महोत्सव के तहत तेरह दिनों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी रखी तथा समाज के सभी लोगों से महोत्सव आयोजन में सम्मिलित होने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे समारोह सात दिनों तक का ही आयोजित किया जाता रहा लेकिन इस बार समाज के युवा वर्ग में उत्साह के मद्देनजर जी एल ओ ग्राउंड में अग्रसेन प्रीमियर लीग क्रिकेट का आयोजन भी शामिल कर लिया गया। प्रारंभ में मुख्य अतिथि संजीव अग्रवाल को अग्रवाल पाठशाला सभा अध्यक्ष शंकरलाल बंसल, सचिव प्रेम प्रकाश बन्सल, अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी व शिवशंकर फतेहपुरिया ने माल्यार्पण कर व मुक्ता अग्रवाल को अंजना पंसारी व पूर्वी अग्रवाल ने बुके भेंट कर स्वागत किया तथा मुख्य संयोजक शैलेंद्र अग्रवाल व सतीश बन्सल ने पाठशाला अध्यक्ष शंकर लाल बन्सल का माल्यार्पण कर तथा मुख्य संयोजक विष्णु मंगल, दिनेश परनामी व राकेश हटूका ने मुख्य अतिथि संजीव अग्रवाल व मुक्ता अग्रवाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

■ 'सुरक्षा छतरी का संरक्षण जरूरी'

अजमेर, (कासं)। लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा मीरशाली स्थित मंगलचंद सकलेचा राजकीय उ मा विद्यालय में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया। लायंस मार्केटिंग के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेन्द्र गांधी ने बताया कि ओजोन परत जो कि एक तरह से पृथ्वी की सुरक्षा छतरी है।

ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है और ये पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाने का काम करती है। स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत की डिस्ट्रिक्ट चैयरपर्सन लायन आभा गांधी ने कहा कि घर पर एसी और फ्रिज का इस्तेमाल से गैस निकलती है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है।

वहीं, प्राकृतिक कारकों में सौर क्रिया, वायुमंडलीय संरचरण, पृथ्वी के रचनात्मक प्लेट किनारों से निकलने वाली गैस, नाइट्स ऑक्साइड, प्राकृतिक क्लोरीन और केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसों से भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। शाला के विज्ञान के व्याख्याता गौस मोहम्मद कुरेशी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर क्लब सचिव लायन सुनील शर्मा, अनिल पाराशर, मंजू चौधरी, रामकंवर सहित अन्य उपस्थित थे। शाला प्राचार्य मुकेश कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

विमोचन समारोह में भदेल ने लिया भाग

अजमेर, (कासं)। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निमंत्रण पर राजस्थान के अजमेर जिला दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं पूर्व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल अम्बेडकर और मोदी रिफोर्मर आइडियाज–परफोर्मर इम्पिलीमेंटेशन नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंची। पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन के नेहरू स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय में 16 सितम्बर को किया गया है। इससे पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री कार्यालय के निमंत्रण पर विधायक अनिता भदेल ने आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन ने अम्बेडकर और मोदी पुस्तक के विमोचन से पूर्व किया। प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) की ओर से किया गया है।

बार एसोसिएशन कलेक्टर से मिला

मदनगंज-किशनगढ,(निसं)। किशनगढ बार एसोसिएशन ने कलेक्टर से मुलाकात कर जिला पुस्तकालय को केकडी में स्थानांतरित करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की।

बार अध्यक्ष शिव धाबाई व भाजपा नेता एडवोकेट महेंन्द्र पाटनी ने बताया की पिछले करीब 56 साल से सार्वजनिक जिला पुस्तकालय किशनगढ में है, किन्तु राजनैतिक दबाव के चलते विभाग ने पुस्तकालय को केकडी में स्थानांतरित कर दिया। इस संबंध कई मर्तबा विरोध दर्ज कराने के बावजूद आदेश निरस्त नहीं होने से आमजन में रोष व्याप्त है। कलेक्टर ने शिष्टमंडल को उचित कार्यवाही के लिये आश्वस्त किया।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.), अजमेर

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि– प्रार्थीया श्रीमती कविता बाई पत्नी स्व. श्री सुन्दरदास जाति सिन्धी निवासी म.न. 372 जे.पी. नगर मदार सैक्टर–T, अजमेर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम किरानीपुरा तहसील अजमेर के ख0न0 21 रकबा 1.92 किस्म बारानी–1 हिस्सा 1/4 भूमि पर खातेदार श्रीमती शैल कुमारी भार्गव पत्नी औंकार नाथ भार्गव निवासी जयपुर द्वारा दिनांक 28.02.2021 को की गई अपंजिकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। अतः यदि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त अपंजिकृत वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण किये जाने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो विवरण सहित इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पर कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जावेगी तथा विधि सम्मत आदेश पारित कर दिया जायेगा। सूचित रहे।

तहसीलदार, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

पी.आर मार्ग अजमेर पिन कोड 305001 0145–2429971, 2429920

Email Id-ajmermc@gmail.com Website https://urban.rajasthan.gov.in/mcajmer

क्रमांक :- ननिअ/69-ए/PSKS/आपत्ति सूचना/2022 दिनांक 15/9/22

आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदकों द्वारा नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकारी के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टाअधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं	आवेदक का नाम	कॉलौनी /योजना /स्थल का विवरण
1	श्रीमति फातिमा बेगम/ श्री अब्दुल सत्तार	सिलावट मौहल्ला, लाखन कोटडी, मदीना मस्जिद के पास अजमेर/वार्ड 08
2	विष्णु शर्मा व राहुल शर्मा/ हरीनारायण शर्मा	1590/2 पानी फिल्टर के सामने, फाईसागर रोड अजमेर/वार्ड 04
3	श्री ओम प्रकाश/ स्व. श्री शिवराम	79/09 लोढा बिल्डिंग गंज अजमेर/वार्ड 08
4	श्रीमति दुर्गा देवी/ स्व. रामस्वरूप	गली न. 1 नया घर गुलाब बाडी अजमेर/वार्ड 52
5	श्री दिनेश टांक/ श्री सुरज नारायण	गली न. 1 नया घर गुलाब बाडी अजमेर
6	श्री राजेश कुमार टांक/ श्री सुरज नारायण	गली न. 1 नया घर गुलाब बाडी अजमेर
7	श्री हनुमंत सिंह/ श्री शंकर लाल	नया घर गुलाब बाडी अजमेर
8	श्री गोविन्द राम भाटी/ श्री गीसू लाल भाटी	पहली गली नया घर गुलाबबाडी अजमेर/वार्ड 52
9	श्री लक्ष्मीनारायण/ श्री रामदेव	गली न. 1 नया घर गुलाब बाडी अजमेर/वार्ड 52
10	श्री विशाल हैरिसन/ श्री राजकमल	ग्रीन सीलीक्स स्कूल के पास, डोमस कम्पोण्ड जयपुर रोड अजमेर/वार्ड 50
11	श्री सर्वेश पारीक/ श्री राधेश्याम पारीक	ए.एम.सी 155/3 पुलिस लाईन चौराहा अजमेर/वार्ड 65
12	श्री मुकेश कनोजिया/ श्री रामचंद कनोजिया	भोपो का बाडा पी. डब्ल्यू.डी स्टोर के पिछे लोहाखान अजमेर/वार्ड 64
13	श्री रमेश कुमार मारीठिया/ श्री विजय सिंह मारीठिया	475/36 स्वास्थिक टेन्ट हाउस वाली गली नया बाडा पुलिस लाईन अजमेर/वार्ड 65

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69–ए. के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के नगर निगम के पक्ष में भूमि के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त पत्रावलियो की विस्तृत लोक सूचना नगर निगम अजमेर की वेबसाईट https://urban.rajasthan.gov.in/mcajmer देखी जा सकती है।

उपयुक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले के तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अधीन आज दिनांक 15.09.2022 को जारी की गई।

प्रभारी अधिकारी
नगर निगम अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मुल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नियमन हेतु आम सूचना का प्रारूप

:आम सूचनाः

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की नियमन शाखा के ग्राम चौरसियावास योजना के आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 26ए खसरा संख्या पुराना 1273 नया 1322, 1323 क्षेत्रफल 102 वर्गगज के आवंटी /अन्तरिति श्री गोरधन प्रजापति पुत्र स्व. श्री मगनाराम जी निवासी किसान कॉलोनी, द्वारका नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 14-04-2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत/अपंजीकृत) नोटेरी पब्लिक महावीर सिंह जी रजिस्टर क्रमांक 305 दिनांक 22-02-2021) संलग्न कर मृतक के द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नियमन हेतु श्रीमती संतोष देवी पत्नि स्व. श्री गोरधन प्रजापति निवासी किसान कॉलोनी द्वारका नगर, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त नियमन किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अंतरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की गणेश गुवाडी योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 1187 क्षेत्रफल 50 व.ग. के आवंटी/अन्तरिति श्री मुकेश दाधीच पुत्र सुदर्शन दत्त दाधीच निवासी एन-27 सागर विहार कॉलोनी अजमेर की मृत्यु दिनांक 26.5.2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्रीमती सरिता पत्नी स्व. मुकेश दत्त दाधीच निवासी एन-27 सागर विहार कॉलोनी अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : न. नि. अ. /22–23/एम.बी./1360 दिनांक : 15/09/2022

आपत्ति सूचना

श्रीमती दीपा परवानी पत्नी श्री जितेन्द्र मूलानी एवं श्री जितेन्द्र मूलानी पुत्र श्री वासुदेव मूलानी निवासी 21/120 शिव शक्ति भवन गुरूनानक कॉलोनी सुखाड़िया नगर अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति/भूखण्ड जिसका ए.एम.सी. संख्या 238/22 = 7/33 एवं भाग बी जो कि ए.एम.सी. 6/125 = 22/90 का पूर्वी भाग जो वार्ड ऋषि दयानन्द मौहल्ला खारी कुई अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 247.60 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लॉन 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू–भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है।

पूर्व :– सम्पत्ति भीमसेन की व पैसेज पश्चिम – सम्पत्ति मोतीराम की
उत्तर :– सम्पत्ति तुलसी राम आसनदास की दक्षिण :– रास्ता

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर–अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

:आम सूचनाः

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की राजस्व ग्राम चौरसियावास योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 1331 क्षेत्रफल 526 वर्गगज व चन्द्रवरदायी नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए -866 क्षेत्रफल 385.66 वर्गगज के आवंटी श्री स्व. मोहन लाल मकवाना पुत्र श्री स्व. चुन्नीलाल मकवाना निवासी 11/381ए देहली गेट कमला बावडी गंज अजमेर की मृत्यु दिनांक 2/12/2015 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा पंजीकृत दिनांक 2/2/2009 संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री राजकुमार मकवाना पुत्र स्व. श्री मोहनलाल मकवाना निवासी निवासी 11/381ए देहली गेट कमला बावडी गंज अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत काकलवाड़ा पंचायत समिति अरांई अजमेर

क्रमांकः-ग्रापक/2022-23/40 दिनांकः-16.9.22

सीमित निविदा सूचना

पंचायत समिति अंराई की अधीनस्थ ग्राम पचायत काकलवाड़ा कार्य का नामः- ग्राम पंचायत एवं अधिनस्थ ग्रामों में डोर टू डोर आवासीय एवं गैर आवासीय क्षेत्र से कचरा संग्रहण नाली सफाई एवं ग्रामों के रास्ते पर सफाई कार्य के लिए सिमित निविदाए आंमत्रित कि जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

NIB NO:- ZAJ2223A0633

UBN NO:- ZAJ 2223WSLB00671).

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत काकलवाड़ा
सरपंच, ग्राम पंचायत काकलवाड़ा

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला अजमेर राज.

गांधी उद्यान -ब्यावर रोड, बिजयनगर

टैलीफोन नम्बर -01462-230051 ई-मेल :-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक /न.पा.बि./भूमि/2022/4616 दिनांक 15-9-22

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के आदेशानुसार नगरपालिका बिजयनगर क्षेत्र के राजस्व ग्राम चौसला के खसरा नम्बर 3950 का हिस्सा, 4536/3991 का हिस्सा, 3948 का हिस्सा जो कि 17.06.1999 के पूर्व बसी योजना है, जो प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012 में स्वीकृत है एवं 90ए (8) की कार्यवाही पूर्व मे हो चुकी है, किन्तु उक्त खसरान का कुछ शेष हिस्सा स्वीकृति से वंचित रह जाने से पुनः उपरोक्त आदेश की पालना में कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर द्वारा खसरा संख्या 3949 के साथ एकजाई ले–आउट प्लान तैयार कर संशोधित ले–आउट प्लान अनुसार पट्टे जारी किये जाने है।

अतः के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की नौसर योजना के आवासीय/व्यावसायिक खसरा संख्या 138 व भूखण्ड संख्या 02–बी क्षैत्रफल 116 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्री सतीश मंगलानी पुत्र श्री किशनचंद मंगलानी निवासी 3–ग–28, श्री राम विहार कॉलोनी, वैशाली नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 16/02/2018 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) राहुल मंगलानी पुत्र स्व. श्री सतीश मंगलानी (2) जितेन्द्र मंगलानी पुत्र स्व. श्री सतीश मंगलानी निवासी (दोनों) 3–ग–28, श्री राम विहार कॉलोनी, वैशाली नगर अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती वर्षा मंगलानी पत्नि स्व. श्री सतीश मंगलानी निवासी 3–ग–28, श्री राम विहार कॉलोनी, वैशाली नगर अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 24/03/2021 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक : अविप्रा/प.3/भू.उ.परि/2022/232/2347 दिनांक 16.9.22

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक पं. 11(8) नविवि/2020 दिनांक 24.2.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है :–

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन–2) के अनुसार भू–उपयोग	स्वीकृत भू–उपयोग	चाहा गया भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	एडवेन्ट रियल एस्टेट प्रा. लि. जरिए निदेशक श्री भावुक सहगल पुत्र श्री सर्वेश पाल सहगल	राजस्व ग्राम नौसर	खसरा सं. 580, 580/ 904, 581, 581/905 585, 585/ 906 586	2864.50 वर्गमीटर	आवासीय	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक

उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में दर्ज करावें अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा

सदस्य सचिव, (भू–उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : नियमन/प्र.श.सं.अभि.2022/आम सूचना/7540 दिनांक : 15.09.2022

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में नियमन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों हेतु सार्वजनिक उज्रदारी सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में उनके नाम के सम्मुख अंकित ग्राम व आराजी संख्या मय भूखण्ड संख्या के नियमन हेतु आवेदन किया गया है :–

योजना क्षेत्र

क.सं.	टावेदक का नाम	राजस्व ग्राम	आराजी संख्या	कृषि भूखण्ड संख्या	साईज
1	श्री महेन्द्र पिता श्री भेरूलाल धोबी	भीलवाड़ा	1075	13 का भाग	12.6X39.6=55.30 वर्गगज़
2	श्री देबीलाल पिता श्री कन्हैयालाल माली	भीलवाड़ा	577	बी–16	26X46.9=135.05 वर्गगज़
3	श्री बालुलाल पिता स्व. श्रीचुन्नीलाल शर्मा	भीलवाड़ा	584	18	24.9X40=110.00 वर्गगज़
4	श्री देवीलाल कुमावत पिता श्री लादुलाल कुमावत	भीलवाड़ा	587	13	24.6X41.3=112.29 वर्गगज़
5	श्री सत्यनारायण पिता कस्तुरचंद खटीक	भीलवाड़ा	1244	15	21X40=93.33 वर्गगज़
6	श्री सत्यनारायण पिता कस्तुरचंद खटीक	भीलवाड़ा	1244	14	21X40=93.33 वर्गगज़
7	श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री नाथूलाल सेन	भीलवाड़ा	578	82–ए	15X40=66.66 वर्गगज़
8	श्री कमलेश माली पिता श्री छगनलाल माली	भीलवाड़ा	553	9	25X39.9=110.41 वर्गगज़
9	श्रीमती घीसीदेवी खटीक पत्नी श्री कश्तुर चंद खटीक	भीलवाड़ा	1244	17	25X46.9=129.86 वर्गगज़
10	श्री श्यामलाल पुरोहित पिता श्री केशुराम पुरोहित	भीलवाड़ा	576	45	12.9X30=42.50 वर्गगज़
11	श्री मोहनलाल शर्मा पिता श्री नन्दराम शर्मा	भीलवाड़ा	1072	57	25X54.9=152.08 वर्गगज़
12	श्रीमती सीमा भारती पत्नी श्री ओमप्रकाश भारती	भीलवाड़ा	576	40	24.6X19.9=53.76 वर्गगज़
13	श्री रतनलाल पिता राजमल माली, श्रीमती शांता देवी पत्नी श्री रतनलाल माली	भीलवाड़ा	705	27	25.3X40=112.22 वर्गगज़
14	श्रीमती सीमा पत्नी श्री मदनलाल तेली	भीलवाड़ा	2988	53	25X40=111.11 वर्गगज़
15	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री छोटूलाल ब्राह्मण	भीलवाड़ा	2875	48 का भाग	15X40=66.66 वर्गगज़
16	श्रीमती सीमा वैष्णव पत्नी श्री गोपाल वैष्णव	भीलवाड़ा	627	18	25X40=111.11 वर्गगज़
17	श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री सत्यनारायण क्षोत्रिय	भीलवाड़ा	1078	5 का भाग	12.6X47=65.27 वर्गगज़
18	श्रीमती सीमा तिवाड़ी पत्नी श्री सत्यनारायण तिवाड़ी	भीलवाड़ा	1071	86	24X40=106.66 वर्गगज़
19	श्रीतमी संतोष देवी पत्नी श्री छोटूलाल शर्मा	भीलवाड़ा	2875	30	24.9X33.3=91.43 वर्गगज़
20	श्री गोरधनलाल पिता गोरीलाल माली	भीलवाड़ा	549	95	25X46.6=129.16 वर्गगज़
21	श्री मोहनलाल शर्मा पिता श्री बद्रीलाल शर्मा	भीलवाड़ा	538	83	24.6+24.9/2X47.3=129.27 वर्गगज़
22	श्री शैलेन्द्र कुमार पिता राधेश्याम आचार्य	भीलवाड़ा	524	1	30X39.9=132.50 वर्गगज़
23	श्री अमृतलाल पिता मिश्रीलाल खटीक	भीलवाड़ा	1228	12	26.6X48=141.33 वर्गगज़
24	श्री ओमप्रकाश खटीक पिता श्री मांगीलाल खटीक	भीलवाड़ा	1198	18	29.3X39.6=128.37 वर्गगज़
25	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री नारायण लाल लोहार	भीलवाड़ा	2998	37, 38 का भाग	27X40.9=122.25 वर्गगज़
26	श्री बालकिशन पिता श्री नारायणलाल लोहार	भीलवाड़ा	2998, 3015	सी–13 का भाग	19.6X19.6=42.25 वर्गगज़
27	श्री बसंत कुमार पिता रामधन पासवान	भीलवाड़ा	3100	27	32X39.6=140.44 वर्गगज़
28	श्री उगमालाल पिता कुपा कुमावत	मलाण	397	64	24.9X40=110.00 वर्गगज़
29	श्री भंवरलाल पिता श्री रामनारायण शर्मा	मलाण	394	36	24.3X40=107.78 वर्गगज़

गैरयोजना क्षेत्र

क.सं.	आवेदककानाम	राजस्वग्राम	आराजी संख्या	कृषि भूखण्ड संख्या	साईज
1.	श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री महावीर	केवाड़ा	278	18 का भाग	19.6+20/2X25=54.86 वर्गगज
2.	श्री शांतीलाल पिता डालचन्द माली	केवाड़ा	241	3	25X40=111.11 वर्गगज़
3.	श्री शांतीलाल पिता डालचन्द माली	केवाड़ा	231	128	35X30=116.66 वर्गगज़
4.	श्री देबीलाल पिता उदयलाल माली	केवाड़ा	229	31	25X40=111.11 वर्गगज़
5.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री रोशन माली	केवाड़ा	229	149	25X40=111.11 वर्गगज़
6.	श्रीमती बिन्दु देवी पत्नी श्री भैरूलाल माली	केवाड़ा	229	170	25X40=111.11 वर्गगज़
7.	श्री बजरंग पिता गजानंद माली	केवाड़ा	241	2	25X40=111.11 वर्गगज़
8.	श्री अनिल कुमार पिता गजानंद माली	केवाड़ा	229	144	25X40=111.11 वर्गगज़
9.	श्री बालकृष्ण पिताप्रेमसुख आचार्य	माण्डल	7898	9	30x40=133.33 वर्गगज़
10.	श्रीमती इन्द्रा आचार्य पत्नी श्री कविशंकर आचार्य	माण्डल	7898	10	30x35=116.66 वर्गगज़
11.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल बिड़ला	माण्डल	8007	15	40+21/2X25=84.72 वर्गगज़
12.	श्रीमती सम्पतीदेवी शर्मा पत्नी श्री भैरूलाल शर्मा	मलाण	269	63	30X50=166.66 वर्गगज़
13.	श्रीमती सम्पतीदेवी शर्मा पत्नी श्री भैरूलाल शर्मा	मलाण	269	62	30X70=233.33 वर्गगज़
14.	श्रीमती सम्पतीदेवी शर्मा पत्नी श्री भैरूलाल शर्मा	मलाण	269	65	30X70=233.33 वर्गगज़
15.	श्रीमती सम्पतीदेवी शर्मा पत्नी श्री भैरूलाल शर्मा	मलाण	269	64	30X50=166.66 वर्गगज़
16.	श्री मुकेश कुमार पाराशर पुत्र श्री सोहनलाल पाराशर	मलाण	553	17	20X40=88.88 वर्गगज
17.	श्रीमती फरीदा पत्नी श्री रज्जाक मोहम्मद मंसूरी	मलाण	1154	77 का भाग	12.6X40=55.55 वर्गगज़
18.	श्री डालचन्द्र पिता लादू माली	मलाण	1209	62	30X40=133.33 वर्गगज़
19.	श्री डालचन्द्र पिता लादू माली	मलाण	1238	12	25X50=138.88 वर्गगज़
20.	श्री हुक्मीचंद भील पिता नाथूलाल भील	मलाण	1052	21	15X40=66.66 वर्गगज़
21.	श्री देवीलाल पिता लादु माली	मलाण	1199	4	20X35=77.77 वर्गगज़

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस भूखण्ड के नियमन बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति या सम्बन्धित को कोई उजर/एतराज/आपत्ति हो तो विज्ञापन दिनांक से सात दिवस में अपनी आपत्ति मय साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद यदि किसी व्यक्ति या सम्बन्धित द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो स्वीकार नहीं की जावेगी तथा भूखण्ड का नियमन/आवंटन/समपरिवर्तन आवेदक के पक्ष में निर्विवाद मानते हुए कर दिया जावेगा तथा न्यास बाद में होने वाले किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सचिव
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा